रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273627
CG-DL-E-19062026-273627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 439] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि.490(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप-धारा (4) और धारा 64 के खंड (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) संशोधन नियमावली, 2026 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 (इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (च) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

""जीवनकाल (एंड ऑफ लाइफ) समाप्त हो चुके वाहन" से वे सभी वाहन अभिप्रेत हैं, जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं हैं या जिन्हें केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अध्याय XI के प्रावधानों के तहत जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन घोषित किया गया है या जिनका पंजीकरण, इस अधिनियम के अध्याय IV के तहत या किसी न्यायालय के आदेश के कारण रद्द कर दिया गया है या वैध पंजीकृत स्वामी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसे वाहन का निपटान करने के अधिकार वाले किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति के कारण स्वयं को बेकार वाहन घोषित किया गया है;"

3. उक्त नियम में, नियम 3 के उप-नियम (1) में, खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(थ) "पोर्टल" से केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित और अनुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, जिसे वर्तमान में 'वीस्क्रैप' के रूप में नामित किया गया है, जो वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत है या ऐसा कोई अन्य प्लेटफॉर्म जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विकसित या अधिसूचित किया गया है।"

4. उक्त नियम में, नियम 5 के उप-नियम (च) में, शब्द ", या इसके लिए कम से कम 60 दिन पहले आवेदन किया होगा" का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम में, नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

" 8 क. वाहन के नष्ट होने या स्क्रैप होने की स्थिति में पंजीकरण रद्द करना —

(1) अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट पंजीकरण प्राधिकरण, किसी मोटर वाहन के नष्ट होने के आधार पर उसके पंजीकरण को रद्द करने की कोई रिपोर्ट तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी रिपोर्ट पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र द्वारा जारी की गई और वाहन डेटाबेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधिवत सत्यापित किए गए प्रपत्र 4 में वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र संलग्न न हो।

बशर्ते कि वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि कोई मोटर वाहन आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से नष्ट हो गया हो और उसका पुनर्चक्रण (रीसाइकल) नहीं किया जा सकता हो।

6. उक्त नियम में, नियम 10 में, उप-नियम (1) के खंड (xvii) में, "छह माह" शब्दों के स्थान पर "बारह माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 12 के उप-नियम (1) में, "स्थापित करेगा" शब्दों के पश्चात् "और रखरखाव करेगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 13 में,—

(क) उप-नियम (6) में, "एक प्रदूषण निवारण प्रणाली, प्राथमिकता के साथ शून्य डिस्चार्ज प्रणाली के साथ और एंड ऑफ लाइफ वाहनों, माल और अन्य स्क्रैप प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विघटन कार्य किया जाएगा।" शब्दों और विराम चिह्न के स्थान पर "तालिका क में निर्दिष्ट उपकरण:" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रावधान और तालिका अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बशर्ते कि प्रत्येक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र नीचे दी गई तालिका क में निर्दिष्ट उपकरणों को संस्थापित, उनका रखरखाव और उन्हें संचालित करेगी, जो उसमें निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हों।

इसके अलावा, मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के तहत पंजीकृत कोई भी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र, इन संशोधन नियमों के लागू होने की तिथि से पहले, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तालिका 'क' में निर्दिष्ट उपकरण आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

तालिका क

उपकरण का प्रकार	क्र. सं.	उपकरण का नाम	तकनीकी विशिष्टता
प्रदूषण निवारण उपकरण	1 (क)	प्रदूषण निवारण उपकरण (दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए)	1. गुरुत्वाकर्षण/चूषण (सक्शन) के माध्यम से पेट्रोल और इंजन ऑयल के लिए दो एकीकृत पंपों से युक्त प्रदूषण-रोधी मूवेबल ट्रॉली 2. वायु से संचालित, आसानी से हटाया जा सकता है (पोर्टेबल)। 3. इंजन ऑयल - गुरुत्वाकर्षण/सक्शन। पेट्रोल – सक्शन संपीड़ित वायु आपूर्ति न्यूनतम 5 बार।
	1 (ख)	प्रदूषण निवारण उपकरण (हल्के मोटर वाहन श्रेणी के लिए)	वायु दाब: न्यूनतम 6 बार। फ्लूइड: डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, कूलेंट/वॉशर फ्लूइड और ब्रेक फ्लूइड। विशेषताएं:- स्टैंडर्ड स्टील केस, न्यूनतम 5 पंप, वायु संचालित नियंत्रण प्रणाली और वायु प्रसंस्करण इकाई के साथ। 1. फ़िल्टर और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई सहित डीज़ल पंप। 2. फ़िल्टर और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई सहित पेट्रोल पंप। 3. पेट्रोल और डीज़ल के लिए उपयुक्त सक्शन होज़ के साथ टैंक ड्रिल हेड (एटेक्स प्रमाणित)। 4. यात्री कारों के ऑयल के लिए उपयुक्त रबर फ़नल। 5. उपयुक्त होज़ रील के साथ इंजन ऑयल पंप। 6. उपयुक्त पारदर्शी नायलॉन होज़ के साथ ब्रेक ऑयल पंप। 7. उपयुक्त सक्शन होज़ और पंचर टूल किट के साथ पानी और कूलेंट के लिए सामान्य पंप।
	1 (ग)	प्रदूषण निवारण उपकरण (मध्यम और भारी वाहनों की श्रेणी के लिए)	वायु दाब: न्यूनतम 6 बार। फ्लूइड: डीजल, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, कूलंट/वॉशर फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड। विशेषताएं:- पाउडर कोटेड स्टील केस के साथ न्यूनतम 5 पंप, वायु संचालित नियंत्रण प्रणाली और वायु प्रसंस्करण इकाई। 1. उपयुक्त सक्शन होज़ रील के साथ फ़िल्टर और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई वाला डीज़ल पंप। 2. उपयुक्त होज़ रील के साथ इंजन ऑयल पंप।

			3. उपयुक्त होज़ रील के साथ हाइड्रोलिक ऑयल पंप। 4. उपयुक्त होज़ रील के साथ ब्रेक ऑयल पंप। 5. पंचर टूल किट के साथ उपयुक्त सक्शन होज़ रील वाला वाशिंग और कूलेंट कॉमन पंप। 6. फर्श पर चलने वाली पोर्टेबल ऑयल कलेक्शन ट्रॉली (न्यूनतम 60 लीटर)।
	1 (घ)	प्रदूषण निवारण उपकरण (हल्के मोटर वाहन श्रेणी के लिए)	यात्री कारों के ऑयल के लिए स्विंग आर्म के साथ सामान्य प्रदूषण निवारण उपकरण। विशिष्टताएं: वायु दाब: न्यूनतम 6 बार। फ्लूइड: डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, कूलंट/वॉशर फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड। विशेषताएं:- पाउडर कोटेड स्टील केस के साथ न्यूनतम 6-पंप, वायु संचालित नियंत्रण प्रणाली और वायु प्रसंस्करण इकाई। 1. फ़िल्टर और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के साथ डीज़ल पंप, 10 मीटर सक्शन होज़ रील के साथ। 2. फ़िल्टर और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई सहित पेट्रोल पंप 3. पेट्रोल और डीजल के लिए उपयुक्त सक्शन होज़ के साथ टैंक ड्रिल हेड (एटेक्स प्रमाणित)। 4. यात्री कारों के ऑयल के लिए उपयुक्त रबर फ़नल। 5. उपयुक्त होज़ रील के साथ इंजन ऑयल पंप। 6. उपयुक्त होज़ रील के साथ हाइड्रोलिक ऑयल पंप। 7. उपयुक्त ब्रेक ऑयल पंप, सक्शन होज़ के साथ 8. वाशिंग और कूलेंट कॉमन पंप के साथ उपयुक्त पंचर टूल किट के साथ सक्शन होज़ रील। 9. फर्श पर ऑयल संग्रहण ट्रॉली (न्यूनतम 60 लीटर) - ट्रक/बसों के ऑयल के लिए 2.
	2	यूरिया पुनर्प्राप्ति प्रणाली	यूरिया को सक्शन या गुरुत्वाकर्षण द्वारा निकाला जाएगा। न्यूनतम टैंक क्षमता 200 लीटर (गुरुत्वाकर्षण/सक्शन)
	3	दोपहिया वाहनों के लिए हाइड्रोलिक रैंप	हाइड्रोलिक रैंप, पहियों को लॉक करने की सुविधा के साथ, दोपहिया वाहन को उठाने में सक्षम हो। उठाने की क्षमता - न्यूनतम 200 किलोग्राम।
	4	हाइड्रोलिक लिफ्ट (2 पोस्ट/मल्टी पोस्ट)	1. 3-पहिया वाहन के लिए:- उठाने की क्षमता- 4 टन, विद्युत आपूर्ति: 415 वोल्ट 2. हल्के मोटर वाहनों के लिए:- उठाने की क्षमता - 4000 किलोग्राम।
	5	मोबाइल कॉलम लिफ्ट - भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए (4 कॉलम)	भार वहन क्षमता - न्यूनतम 5500 किलोग्राम/कॉलम। इलेक्ट्रिक मोटर पावर रेटिंग - न्यूनतम 2.2 किलोवाट/कॉलम।

	6	एयर कंडीशनर (ए/सी) गैस रिकवरी यूनिट	वाहन के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को खोलने से पहले, सुरक्षित रूप से रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए ऑटोमोटिव ए/सी रेफ्रिजरेंट रिकवरी उपकरण; सामान्य रेफ्रिजरेंट के साथ संगत, रिकवरी क्षमता 100 ग्राम/मी³ या उससे अधिक, ऑटोमोटिव ए/सी दबाव सीमा (18-30 बार) के लिए उपयुक्त, रिकवरी कंप्रेसर/पंप, फिल्ट्रेशन यूनिट, हाई और लो प्रेशर सर्विस होसेस, प्रेशर गेज/इंडिकेटर और रिकवरी सिलेंडर (कम से कम 10 किलोग्राम) के साथ। सिस्टम में प्रेशर प्रोटेक्शन और लीक-प्रूफ कनेक्शन जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं होनी चाहिए।
	7	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पुनर्प्राप्ति प्रणाली	यह गैस जलाने/फ्लेयरिंग यूनिट, वाहनों के पुराने होने के बाद बचे हुए गैसीय ईंधन (जैसे, सीएनजी/एलपीजी) को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से जलाने के लिए उपयुक्त है। इसमें उचित दबाव नियंत्रण प्रणाली, बर्नर/लौ उपकरण, प्रज्वलन व्यवस्था, लौ/फ्लैशबैक अवरोधक, सुरक्षा वाल्व और वाहन गैस सिलेंडरों के लिए संगत होज़ कनेक्शन लगे होने चाहिए। यूनिट को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ बाहरी कार्यशाला में गैस के नियंत्रित निकास और दहन की अनुमति होनी चाहिए।
उपकरण को तोड़ कर अलग करना	8	पोर्टेबल पावर टूल / न्यूमेटिक टूल	प्रदूषण नियंत्रण या पुर्जों को अलग करने के दौरान वाहनों के पुर्जों को काटने, ढीला करने, अलग करने या हटाने के लिए उपयुक्त पोर्टेबल पावर टूल/न्यूमेटिक टूल। यह टूल आवश्यकतानुसार संपीड़ित वायु या विद्युत आपूर्ति पर चलने में सक्षम है और इसकी बनावट टिकाऊ हो, इसमें मानक उपकरण फिटिंग और आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हो। यह टूल कार्यशाला में निरंतर उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए और आमतौर पर उपलब्ध सहायक उपकरणों के साथ संगत होना चाहिए। कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समतुल्य या बेहतर टूल का उपयोग किया जा सकता है।
	9	हाइड्रोलिक कर्तन (शियर), न्यूमेटिक रेसिप्रोकेटिंग आरी (सॉ), या समतुल्य उपकरण जो उत्प्रेरक आधार (सब्सट्रेट) को नुकसान पहुंचाए बिना उत्प्रेरक कटर के सुरक्षित और नियंत्रित पृथक्करण को सुनिश्चित करते हैं।	वाहन के एग्जॉस्ट घटकों को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से काटने के लिए हाइड्रोलिक शीयर, न्यूमेटिक रेसिप्रोकेटिंग सॉ या समतुल्य उपकरण उपयुक्त होने चाहिए, ताकि डिसमैंटलिंग ऑपरेशन के दौरान कैटेलिटिक कन्वर्टर को हटाया जा सके; उपकरण एग्जॉस्ट सेक्शन को अत्यधिक कंपन या कैटेलिटिक सबस्ट्रेट को नुकसान पहुंचाए बिना सटीक रूप से अलग करता है और टिकाऊ निर्माण और आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कार्यशाला में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
	10	हाथ से पकड़े जाने वाले औजार :-क. प्राइ बार/ स्पैनर/ रैचेट/ मैलेट ख. स्क्रूड्राइवर/ स्लॉट स्क्रूड्राइवर/ इम्पैक्ट स्क्रूड्राइवर ग. कटर/ कटिंग प्लायर्स/ स्पेशल	

		प्लायर घ. फिल्टर रिंच/ ऑयल फिल्टर रिमूवल टूल	
	11	सेंटर पंच और बैग (कांच के टूटने और संग्रहण के लिए)	वाहन के शीशे को तोड़ते समय नियंत्रित तरीके से तोड़ने के लिए संग्रहण थैली वाला सेंटर पंच या समतुल्य उपकरण; सुरक्षित मैनुअल संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया और टिकाऊ संरचना वाला उपकरण, जिसमें टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रबंध हो ताकि वे बिखरें नहीं और सुरक्षित तरीके से उनका निपटान किया जा सके।
	12	विंडशील्ड हटाने का उपकरण	लैमिनेटेड वाहन विंडशील्ड को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए उपयुक्त विंडशील्ड रिमूवल टूल या समतुल्य उपकरण; इस उपकरण में कटिंग वायर, चाकू, वायवीय या विद्युत उपकरण शामिल हो सकते हैं जो विंडशील्ड के चारों ओर लगे एडहेसिव सीलेंट को कांच को अधिक तोड़े बिना काटने के लिए डिज़ाइन किए गए हों, और कांच को सुरक्षित रूप से प्रबंधन और हटाने की सुविधा प्रदान करें। उपकरण टिकाऊ निर्माण के साथ कार्यशाला में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
	13	व्हील पॉपर (टायर निकालने का उपकरण)	व्हील पॉपर या इसके समतुल्य उपकरण, वाहन के पहियों को हब से अलग करने और ढीला करने के लिए उपयुक्त है; यह उपकरण मैनुअल, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी टिकाऊ बनावट पहियों को नियंत्रित बल लगाकर सुरक्षित रूप से अलग करने में सक्षम बनाती है, जिससे आसपास के पुर्जों को नुकसान नहीं पहुंचता है।
जोखिम कम करने वाले उपकरण	14	एयर बैग परिनियोजन इकाई	प्रत्येक प्रज्वलन परिपथ के लिए गेट ट्रिगर करंट: 5 ए तक। प्रज्वलन समय: 250 मिलीसेकंड। वाहन को खोलने से पहले निष्क्रिय एयरबैग को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से सक्रिय/चालू करने के लिए उपयुक्त एयरबैग डिप्लॉयमेंट यूनिट या समतुल्य उपकरण; ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, उपयुक्त विद्युत इंटरफ़ेस के माध्यम से एयरबैग इन्फ्लेटर को दूर से ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम। उपकरण में कंट्रोल यूनिट, सामान्य एयरबैग मॉड्यूल के साथ संगत वायरिंग हार्नेस/कनेक्टर, सुरक्षा इंटरलॉक के साथ एक्टिवेशन स्विच और सुरक्षित स्टैंड-ऑफ ऑपरेशन के लिए पर्याप्त केबल लंबाई शामिल होनी चाहिए।
कुचलने और टुकड़े करने के उपकरण	15	बेलिंग प्रेस	धातु के स्क्रैप या वाहन के अलग किए गए पुर्जों को सघन गांठों में संकुचित और बंडल करने के लिए उपयुक्त बेलिंग प्रेस (स्क्रैप बेलर) या समतुल्य उपकरण, ताकि उनका प्रबंधन भंडारण और परिवहन सुगम हो सके; उपकरण में पर्याप्त संपीड़न बल, स्थिर संचालन और औद्योगिक स्क्रैप प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सुरक्षा सुविधाएँ होनी चाहिए और यह 24" x 24" तक के आकार की गांठें बनाने में सक्षम होना चाहिए।

भंडारण टंकियां	16	तेल/स्नेहक (लुब्रिकेंट) /अन्य तरल विभाजक टैंक	संक्षारण-प्रतिरोधी सामग्री (उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन/स्टील) से बने रिसाव-रोधी द्रव संग्रहण कंटेनर, पर्याप्त क्षमता (न्यूनतम 200 लीटर) वाले, ऑटोमोटिव द्रवों के अनुकूल, उचित रूप से लेबल किए गए और प्रदूषण रहित वाहन द्रवों के सुरक्षित संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
पर्यावरण और सुरक्षा संपत्तियाँ	17	विकिरण संसूचन प्रणाली (बीटा/गामा/अल्फा का उल्लेख)	विकिरण का पता लगाने वाला उपकरण (हाथ में पकड़ने योग्य) वाहनों, पुर्जों या स्क्रैप सामग्री को स्कैन करके असामान्य विकिरण स्तरों का पता लगाने के लिए उपयुक्त है; इस उपकरण की संवेदनशीलता प्राकृतिक पृष्ठभूमि स्तर से थोड़ा अधिक विकिरण का पता लगाने में सक्षम होनी चाहिए और इसका मापन दायरा लगभग 0.01 μSv/h या उससे अधिक होना चाहिए, साथ ही इसमें श्रव्य और/या दृश्य अलार्म संकेत भी होना चाहिए। उपकरण पोर्टेबल होना चाहिए और ईएलवी या स्क्रैप सुविधा के परिवेश में वाहनों के ऊपरी या आसपास के हिस्सों को निकट से स्कैन करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
	18	अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)/ जल पुनर्चक्रण संयंत्र	ईटीपी क्षमता: - 5 किलोलीटर प्रति दिन (केएलडी) और उससे अधिक। वाहनों की सफाई, धुलाई और पुर्जों को अलग करने से उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रबंध के लिए उपयुक्त ईटीपी (पर्यावरण उपचार संयंत्र) प्रणाली। यह प्रणाली तेल, ग्रीस, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ और अन्य प्रदूषकों को तेल-जल पृथक्करण, अवसादन, निस्पंदन और/या रासायनिक उपचार जैसी उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा हटाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि निर्वहन की गुणवत्ता लागू पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करे। संयंत्र में पर्याप्त क्षमता, टिकाऊ निर्माण और सुरक्षित संचालन एवं गाद प्रबंधन के लिए प्रावधान होने चाहिए। कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली समतुल्य या बेहतर उपचार प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।
	19	प्लाज्मा कटर-इन्वर्टर	पुर्जों को अलग करते समय धातु के पुर्जों की नियंत्रित कटाई के लिए उपयुक्त प्लाज्मा कटिंग उपकरण; यह प्रणाली उपयुक्त विद्युत स्रोत, टॉर्च असेंबली और संपीड़ित वायु या उपयुक्त गैस आपूर्ति के साथ प्लाज्मा आर्क तकनीक का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं को काटने में सक्षम है। उपकरण में आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ सटीक कटाई की सुविधा होनी चाहिए और यह कार्यशाला में निरंतर उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

9. उक्त नियमों में, नियम 13 में, उप-नियम 8 के उपबंध (ख) में, "ईंधन, तरल पदार्थ, गैस और द्रवों के निकास के दौरान प्रदूषकों के शून्य रिसाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रदूषण-निवारक उपकरण, एयरबैग, प्रीटेंशनर आदि के सुरक्षित निष्प्रभावीकरण या हटाने के लिए प्रमाणित जोखिम-निवारक उपकरण, परिभाषित कार्यकलापों (जैसे जोखिम-निवारण, प्रदूषण-निवारण, विघटन आदि) के लिए उपयुक्त विघटन उपकरण" शब्दों के स्थान पर "तालिका क में निर्दिष्ट सभी उपकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 14 में,—

(क) उप नियम (1) में,—

(i) उपबंध (ख) में, शब्द और चिह्न "जैसा कि प्रपत्र- में बनाए रखा गया है" के बाद, अंक "3" अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ii) उपबंध (ख) में इस प्रकार संशोधन करने के बाद, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) नियम 13 के उप-नियम (6) के अंतर्गत तालिका क में निर्दिष्ट उपकरणों का लेखापरीक्षा, स्थापना और परिचालन स्थिति का आकलन करने के लिए।"

(ख) उप नियम (2) में, "लेखापरीक्षा रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर, "प्ररुप 5 में" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप नियम (3) में, —

(i) "पंजीकृत स्क्रैपर" शब्दों के स्थान पर "लेखापरीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "उस वित्तीय वर्ष का" शब्दों और विराम चिह्न के स्थान पर "उस वित्तीय वर्ष का:" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) इस प्रकार संशोधित उपनियम (3) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

बशर्ते कि यदि इस उप-नियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड नहीं की जाती है, तो केंद्र सरकार या पंजीकरण प्राधिकरण ऐसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण प्रमाण पत्र तब तक निलंबित कर सकता है, जब तक कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट केंद्र सरकार या पंजीकरण प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप पोर्टल पर अपलोड नहीं कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण प्रमाण पत्र तीन माह से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो पंजीकरण प्राधिकरण ऐसी सुविधा के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(ङ) उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

"(6) केंद्र सरकार समय-समय पर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश जारी कर सकती है।"

11. उक्त नियमों के प्ररूप 4 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्ररूप 5

(नियम 14(2) देखें)

आरवीएसएफ (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) की लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट

1. सामान्य जानकारी

लेखापरीक्षा संख्या और मूल्यांकन		**लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन की तिथि/अवधि**	
लेखापरीक्षा एजेंसी और संपर्क जानकारी		**लेखा परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर**	
आरवीएसएफ का नाम		**लेखापरीक्षा की अवधि (वित्तीय वर्ष)**	
आरवीएसएफ का पता		**आरवीएसएफ का संपर्क नंबर**	

2. सुविधा विवरण

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र	हाँ		नहीं	
2. संचालन की सहमति (सीटीओ)	हाँ		नहीं	
3. कुल भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर)				
4. कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)				

3. स्क्रैप किए गए वाहनों के नमूनों की जाँच

क्रम संख्या	वाहन श्रेणी (एल/एम/एन/ओ)	वाहन पंजीकरण सं.	जमा प्रमाणपत्र संख्या	वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र संख्या	ईएलवी स्क्रैप सत्यापन (चेसिस नंबर का कट-आउट, कार्य से पहले, दौरान और बाद में जियो-टैग की गई तस्वीरें)	प्रेक्षण (ऑबजर्वेशन)

4. लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

क्र. सं.	विषय	क्या जांचना है	अनुपालन (हाँ/नहीं)	टिप्पणी	फोटो
1	**सुविधा**	नियम 13, उप नियम (8), खंड (क) के अनुसार पार्किंग स्थल में अभेद्य फर्श।			
		नियम 12, उप नियम (1) के अनुसार सीसीटीवी			
		नियम 13, उप नियम (8), खंड (ग) के अनुसार ईटीपी (अपशिष्ट उपचार संयंत्र)			
2	**उपकरण (अनिवार्य)**	प्रदूषण निवारण उपकरण (2डब्ल्यू और 3डब्ल्यू श्रेणी के लिए)			
		प्रदूषण निवारण उपकरण (हल्के मोटर वाहन श्रेणी के लिए)			
		प्रदूषण निवारण उपकरण (मध्यम और भारी वाहनों की श्रेणी के लिए)			
		यूरिया पुनर्प्राप्ति प्रणाली			
		दोपहिया वाहनों के लिए हाइड्रोलिक रैंप			
		हाइड्रोलिक लिफ्ट (2 पोस्ट/मल्टी पोस्ट)			
		मोबाइल कॉलम लिफ्ट - एचसीवी के लिए (4-कॉलम)			
		एसी गैस रिकवरी यूनिट			
		एलपीजी और सीएनजी पुनर्प्राप्ति प्रणाली			
		पोर्टेबल पावर टूल / न्यूमेटिक टूल			
		हाइड्रोलिक शियर, न्यूमेटिक रेसिप्रोकेटिंग सॉ, या समतुल्य उपकरण जो उत्प्रेरक सब्सट्रेट को नुकसान पहुंचाए बिना उत्प्रेरक कटर के सुरक्षित और नियंत्रित पृथक्करण को सुनिश्चित करते हैं।			
		हाथ से पकड़े जाने वाले औजार :- क. प्राइ बार/स्पैनर/रैचेट/मैलेट ख. स्क्रूड्राइवर/स्लॉट स्क्रूड्राइवर/इम्पैक्ट स्क्रूड्राइवर			

		ग. कटर/कटिंग प्लायर/स्पेशल प्लायर घ. फिल्टर रिंच/ऑयल फिल्टर रिमूवल टूल			
		सेंटर पंच और बैग (कांच के टूटने और संग्रहण के लिए)			
		विंडशील्ड हटाने का उपकरण			
		व्हील पॉपर (टायर निकालने का उपकरण)			
		एयर बैग परिनियोजन इकाई			
		बेलिंग प्रेस (टिप्पणी में बेलिंग आकार का उल्लेख करें)			
		तेल/लुब्रिकेंट/अन्य तरल विभाजक टैंक			
		विकिरण संसूचन प्रणाली (बीटा/गामा/अल्फा का उल्लेख करें)			
		अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र/जल पुनर्चक्रण संयंत्र			
		प्लाज्मा कटर-इन्वर्टर			
3	**प्रक्रिया**	क्या प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जा रहा है या नहीं?			
		सभी तरल पदार्थ और खतरनाक घटकों को उचित रूप से हटा दिया गया है।			
		प्रत्येक तरल पदार्थ को अलग-अलग, लेबल लगे, रिसाव-रोधी कंटेनरों में एकत्रित किया जाना चाहिए; कोई रिसाव नहीं होना चाहिए;			
		उपकरण को अलग करने से पहले एयरबैग और पयरोटेक्निक्स को सक्रिय/निष्क्रिय कर दिया गया; निर्माता की प्रक्रिया का पालन किया गया।			
		प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करके एसी रेफ्रिजरेंट को पुनः प्राप्त किया गया; इसे वातावरण में नहीं छोड़ा गया।			
		पूर्ण रूप से प्रदूषण-मुक्ति कार्य होने के बाद ही नष्ट किया गया			
		फर्श पर कोई रिसाव नहीं; रोकथाम गड्ढे/जल निकासी व्यवस्था कार्यशील			
		खतरनाक अपशिष्ट (प्रयुक्त तेल, बैटरी, टायर, ब्रेक फ्लूइड, ई-कचरा, फिल्टर) को लेबल लगे कंटेनरों में भरकर ढके हुए शेड में संग्रहित किया गया			
		ईटीपी चालू; अपशिष्ट जल को निर्वहन से पहले उपचारित किया गया।			
		प्रत्येक वाहन के लिए द्रव और अपशिष्ट की मात्रा सहित द्रव्यमान प्रवाह विवरण (फॉर्म-3) को अद्यतन किया गया।			

5. वार्षिक रिटर्न के निष्कर्ष

1. वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया गया	हाँ		नहीं	
2. वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार द्रव्यमान संतुलन				
3. वार्षिक विवरण में उजागर की गई कमियों का सारांश				

[फा. सं. आरटी-23013/17/2026-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653 (अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. .... (अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R.490(E).— The following draft of certain rules, further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called The Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of publication of the notification in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), the clause (f), the following clause shall be substituted, namely, —

> ""End-of-Life Vehicles" means all vehicles which are no longer validly registered or declared End-of-Life Vehicle under the provisions of Chapter XI of Central Motor Vehicles Rules, 1989 or their registrations have been cancelled under Chapter IV of the Act or due to an order of a Court of Law or are self-declared by the legitimate registered owner or Central Government or State Government or any person or authority having the right to dispose of such vehicle under these Rules, as a waste vehicle due to any circumstances as specified in these rules;"

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), after clause (p), the following new clause shall be inserted, namely: -

> "(q) "Portal" means the centralized platform developed and maintained by the Central Government, currently designated as 'Vscrap', integrated with the VAHAN database, or such other platform developed or notified by the Central Government from time to time for the purposes of these rules."

4. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (f), the words ", or shall have applied for the same, at least 60 days" shall be omitted.

5. In the said rules, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely, —

"8A. Cancellation of registration in case of destruction or scrapping of vehicle. —

(1) The Registering Authority referred to under sub-section (1) of Section 55 of the Act, shall not accept any report for cancellation of registration of a motor vehicle on the ground of being destroyed, unless such report is accompanied by a Certificate of Vehicle Scrapping in Form 4 issued by a Registered Vehicle Scrapping Facility and duly verified electronically through the VAHAN database:

Provided that Certificate of Vehicle Scrapping shall not be required where a motor vehicle has been destroyed on account of fire, riot, natural calamity or any other cause, and cannot be recycled."

6. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (1), in clause (xvii), for the words, "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1), after the words "shall install", the words "and maintain", shall be inserted.

8. In the said rules, in rule 13, —

(a) in sub-rule (6), for the words and punctuation mark "a depollution system, preferably with zero discharge system and dismantling work shall be done using technology for processing the End-of-Life vehicles, goods and other scraps.", the words and punctuation mark "equipment as specified in Table A:" shall be substituted;

(b) after sub rule (6), the following provisos and table shall be inserted namely: —

"Provided that every Registered Vehicle Scrapping Facility shall install, maintain and operate the equipment specified in Table A below, conforming to the technical specifications prescribed therein.

Provided further that any Registered Vehicle Scrapping facility registered under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, prior to the date of commencement of these amendment rules, shall ensure full compliance with the equipment requirements specified in Table A within a period of one year from the date of publication of this notification."

Table A

Type of Equipment	**S.No.**	**Equipment name**	**Technical Specification**
De-pollution Equipment	1 (A)	Depollution Equipment (For 2 Wheeler & 3 Wheeler Category)	1. Depollution movable trolley with two integrated pumps for Petrol, Engine Oil through Gravity/ Suction 2. Air operated easy to move (Portable). 3. Engine Oil- Gravity/ Suction Petrol- Suction Compressed air supply minimum 5 bar.
	1 (B)	Depollution Equipment (For Light Motor Vehicle category)	Air pressure: Minimum 6 bar Fluids: Diesel, Petrol, Engine oil, Coolant/Washer fluid and Brake. fluid Features:- Standard steel case with minimum 5-Pumps,air operated control system and air processing unit 1. Diesel pump with filter and quality control Unit 2. Petrol Pump with filter and quality control unit. 3.Tank Drill head (Atex Certified) for Petrol & Diesel along with appropriate suction hose. 4.Appropriate rubber funnel for passenger cars oil. 5. Engine oil Pump with appropriate Hose reel 6. Brake oil Pump with appropriate Transparent Nylon Hose 7. Water & Coolant common pump with appropriate suction hose & puncturing tool kit.

	1 (C)	Depollution Equipment (For medium and heavy vehicles category)	Air pressure: Minimum 6 bar Fluids: Diesel, Engine oil, Hydraulic oil, Coolant/Washer fluid, Brake fluid Features:- Powder coated steel case with Minimum 5-Pumps,air operated control system and air processing unit. 1. Diesel pump with filter and quality control Unit with appropriate suction hose reel. 2. Engine oil Pump with appropriate hose reel. 3. Hydraulic Oil Pump with appropriate hose reel. 4. Brake oil Pump with appropriate hose reel. 5.Washing & Coolant common pump with appropriate suction hose reel with puncturing tool kit. 6. On Floor Portable oil Collection Trolley (Minimum 60 L)
	1 (D)	Depollution Equipment (For Light Motor Vehicle Category)	Common Depollution with Swing Arm for Passenger cars Oil. Specifications: Air pressure: Minimum 6 bar Fluid: Diesel, Petrol, Engine oil, Hydraulic oil, Coolant/Washer fluid, Brake fluid Features:- Powder coated steel case with minimum 6-Pumps, air operated control system and air processing unit. 1. Diesel pump with filter and quality control Unit with 10-M suction hose reel. 2. Petrol Pump with filter and quality control unit 3. Tank Drill head (Atex Certified) for Petrol & Diesel with appropriate Suction Hose. 4. Appropriate rubber funnel for passenger cars oil. 5. Engine oil Pump with appropriate hose reel. 6. Hydraulic Oil Pump with appropriate hose reel. 7. Brake oil Pump with appropriate Suction hose. 8.Washing & Coolant common pump with appropriate suction hose reel with puncturing tool kit. 9. on floor oil Collection Trolley (Minimum 60 L)- 2-nos for Truck/Buses oils.
	2	Urea Recovery System	Urea shall be recovered through suction or gravity draining Minimum Tank Capacity-200-L Gravity/ Suction
	3	Hydraulic Ramp for 2-Wheeler	Hydraulic ramp capable of lifting the 2 Wheeler with wheel locking provision. Lifting Capacity- Minimum 200 Kg
	4	Hydraulic Lift (2 Post/Multi Post)	1. For 3-Wheeler:- Lifting Capacity- 4 Ton Power Supply: 415V. 2. For Light Motor Vehicle:- Lifting Capacity - 4000 Kgs.
	5	Mobile Column Lift- For Heavy Commercial Vehicle (4-Column)	Lifting Capacity - Minimum 5500 Kgs/ column Electric Motor Power rating - Minimum 2.2 KW/Column.
	6	Air Conditioner (A/C) gas recovery unit	Automotive A/C refrigerant recovery equipment for safe extraction of refrigerant from vehicle air-conditioning systems prior to dismantling; compatible with common refrigerants, recovery capacity more than or equal to 100 g/m, suitable for automotive A/C pressure range (18-30 bar), with recovery compressor/pump, filtration unit, high- and low-pressure service hoses, pressure gauges/indicators, and recovery cylinder (minimum 10 kg). System should include necessary safety features such as pressure protection and leak-resistant connections.
	7	Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Compressed Natural	Gas burning/flaring unit suitable for safe controlled combustion of residual gaseous fuel (example, CNG/LPG) from end-of-life vehicles prior to dismantling; equipped with appropriate pressure

		Gas (CNG) Recovery System	regulation system, burner/flame device, ignition arrangement, flame/flashback arrestor, safety valves, and compatible hose connections for vehicle gas cylinders. The unit should allow controlled venting and combustion of gas in an outdoor workshop environment with necessary safety provisions.
Dismantling Equipment	8	Portable power tool / Pneumatic tool	Portable power tool / pneumatic tool suitable for cutting, loosening, dismantling, or removal of vehicle components during depollution or dismantling operations; capable of operating on compressed air or electric power supply as applicable, with durable construction, standard tool fittings, and necessary safety features. Tools should be suitable for continuous workshop use and compatible with commonly available accessories. Equivalent or superior tools meeting functional requirements may be used.
	9	Hydraulic shear, pneumatic reciprocating saw, or equivalent equipment ensuring safe and controlled separation of catalytic cutter without damaging the catalytic substrate	Hydraulic shear, pneumatic reciprocating saw, or equivalent equipment suitable for safe and controlled cutting of vehicle exhaust components for removal of catalytic converter during dismantling operations; equipment should allow precise separation of exhaust sections without excessive vibration or damage to the catalytic substrate, and be suitable for workshop use with durable construction and necessary safety provisions.
	10	Hand Held Tools :- A. Pry bar/ Spanner/Ratchet/ Mallet B. Screwdriver/Slot screwdriver/ Impact screwdriver C. Cutter/cutting pliers/ Special Plier D. Filter wrench/ Oil Filter Removal Tool	
	11	Center Punch & bag (for glass breakage & collection)	Center punch with collection bag or equivalent equipment suitable for controlled breakage of vehicle glass during dismantling operations; tool designed for safe manual operation with durable construction, and provision for collection of broken glass fragments to prevent scattering and ensure safe handling and disposal.
	12	Windshield removal tool	Windshield removal tool or equivalent equipment suitable for safe removal of laminated vehicle windshield during dismantling operations; tool may include cutting wire, knife, pneumatic or electric device designed to cut adhesive sealant around the windshield without excessive glass breakage, and should allow safe handling and removal of the glass. Equipment should be suitable for workshop use with durable construction.
	13	Wheel Popper (Tyre Removal Tool)	Wheel popper or equivalent tool suitable for loosening and separating stuck or seized vehicle wheels from the hub during dismantling operations; tool designed for manual, pneumatic, or hydraulic operation with durable construction, allowing controlled application of force to safely detach wheels without damaging surrounding components.

De-risking Equipment	14	Air Bag Deployment Unit	Gate trigger current per ignition circuit: up to 5 A Ignition time: 250 ms. Airbag deployment unit or equivalent equipment suitable for safe controlled activation/deployment of undeployed vehicle airbags prior to dismantling; system designed to remotely trigger airbag inflators through appropriate electrical interface while ensuring operator safety. Equipment should include control unit, wiring harness/connectors compatible with common airbag modules, activation switch with safety interlock, and adequate cable length for safe stand-off operation.
Crushing and Shredding Equipment	15	Baling press	Baling press (scrap baler) or equivalent equipment suitable for compacting and bundling metallic scrap or dismantled vehicle components into dense bales for easier handling, storage, and transportation; equipment should provide adequate compressive force, stable operation, and necessary safety features for industrial scrap processing capable of producing bale size up to 24" x 24"
Storage Tanks	16	Oil/Lubricant/other Fluid Separator Tanks	Leakproof fluid collection containers made of corrosion-resistant material (High-Density Polyethylene/Steel), of adequate capacity (minimum 200 L), compatible with automotive fluids, properly labelled and used for safe collection of depolluted vehicle fluids.
Environment and Safety Assets	17	Radiation Detection System (mention beta/gamma/alpha)	Radiation detection equipment (can be hand held) suitable for scanning vehicles, components, or scrap materials to detect abnormal radiation levels; device having sensitivity capable of detecting radiation slightly above natural background and measurement range approximately 0.01 μSv/h and above, with audible and/or visual alarm indication. Equipment should be portable and suitable for close-range scanning over or around vehicle bodies in ELV or scrap facility environments.
	18	Effluent Treatment Plant (ETP)/ Water Recycling Plant	ETP capacity: - 5 KLD (Kiloliters per Day) and above. ETP suitable for treatment of wastewater generated from vehicle depollution, washing, and dismantling activities; system designed to remove oil, grease, suspended solids, and other contaminants through appropriate treatment processes such as oil-water separation, sedimentation, filtration, and/or chemical treatment to ensure discharge quality meets applicable environmental norms. The plant should have adequate capacity, durable construction, and provisions for safe operation and sludge handling. Equivalent or superior treatment systems meeting functional requirements may be used.
	19	Plasma Cutter-Inverter	Plasma cutting equipment suitable for controlled cutting of metallic vehicle components during dismantling operations; system capable of cutting ferrous and non-ferrous metals using plasma arc technology with appropriate power source, torch assembly, and compressed air or suitable gas supply. Equipment should allow precise cutting with necessary safety provisions and be suitable for continuous workshop use.

9. In the said rules, in rule 13, in clause (b) of sub-rule 8, for the words "Certified de-polluting equipment to ensure zero leakage of pollutants during draining of fuels or fluids or gases and liquids, certified de-risking equipment for safe neutralization or removal of airbags, pretensioner etc., appropriate dismantling equipment for the activities defined (such as de-risking, depolluting, dismantling, etc.)," the words "All equipment specified in Table A along with," shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 14,—

(a) in sub rule (1), —

(i) in clause (b), after the words and symbol "as maintained in Form-", the numeral "3", shall be inserted;

(ii) after clause (b) so amended, the following clause shall be inserted, namely: —

"(c) audit of the equipment as specified in Table A under sub-rule (6) of rule 13, to assess installation and operational condition status.";

(b) in sub rule (2), after the words "The audit report", the words ", in Form 5" shall be inserted

(c) in sub rule (3), —

(i) for the words "Registered Scrapper", the words "agency conducting the audit" shall be substituted;

(ii) for the words and punctuation mark "of that financial year.", the words and punctuation mark "of that financial year:" shall be substituted;

(d) after sub rule (3) so amended, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that in a case where the audit report is not uploaded within the period prescribed under this sub-rule, the Central Government or Registration Authority may suspend the registration certificate of such Registered Vehicle Scrapping Facility, until the audit report is uploaded on the portal to the satisfaction of the Central Government or Registration Authority, as the case may be:

"Provided further that in a case where the registration certificate of a Registered Vehicle Scrapping Facility has been suspended for more than three months, the Registration Authority may initiate proceedings for cancellation of the registration certificate of such facility.".

(e) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely,—

"(6) The Central Government may time to time issue guidelines prescribing the actions against Registered Vehicle Scrapping Facilities in case of breach of the rules."

11. After Form 4 of the said rules, the following form shall be inserted, namely: -

"Form 5

(Refer rule 14(2))

AUDIT AND ASSESSMENT REPORT OF A RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility)

1. GENERAL INFORMATION

Audit Number and Assessment		**Date/duration of Audit and Assessment**	
Auditing Agency and Contact Information		**Auditor's Name and Signature**	
RVSF Name		**Audit Period (Financial Year)**	
RVSF Address		**RVSF Contact Number**	

2. FACILITY DETAILS

1. Registration certificate	Yes		No	
2. Consent to Operate (CTO)	Yes		No	
3. Total Land Area (Sq meter)				
4. Total Builtup Area (Sq meter)				

3. SAMPLE CHECK OF VEHICLES SCRAPPED

S. No.	Vehicle Category (L/M/N/O)	Vehicle Reg. No.	Certificate of Deposit Number	Certificate of Vehicle Scrapping Number	ELV Scrap verification (Chassis no. cut-out, geo-tagged photograph before, during and after the operation)	Observations

4. AUDIT FINDINGS

S. No.	Theme	What to Check	Compliance (Yes/No)	Remarks	Photo
1	**Facility**	Non permeable flooring in parking space in line with Rule 13, sub rule (8), clause (a)			
		CCTV in line with Rule 12, sub rule (1)			
		ETP (Effluent treatment plant) in line with Rule 13, sub rule (8), clause (c)			
2	**Equipment (Mandatory)**	Depollution Equipment (For 2 W & 3 W Category)			
		Depollution Equipment (For Light Motor Vehicle category)			
		Depollution Equipment (For medium and heavy vehicles category)			
		Urea Recovery System			
		Hydraullic Ramp for 2-Wheeler			
		Hydraulic Lift (2 Post/Multi Post)			
		Mobile Column Lift- For HCV (4-Column)			
		AC gas Recovery unit			
		LPG and CNG Recovery System			
		Portable power tool / Pneumatic tool			
		Hydraulic shear, pneumatic reciprocating saw, or equivalent equipment ensuring safe and controlled separation of catalytic cutter without damaging the catalytic substrate			
		Hand Held Tools: - A. Pry bar/Spanner/Ratchet/ Mallet B. Screwdriver/Slot screwdriver/ Impact screwdriver C. Cutter/cutting pliers/ Special Plier D. Filter wrench/ Oil Filter Removal Tool			
		Center Punch & bag (for glass breakage & collection)			
		Windshield removal tool			
		Wheel Popper (Tyre Removal Tool)			

		Air Bag Deployment Unit			
		Bailing press (Mention bail size in remarks)			
		Oil/Lubricant/other Fluid Separator Tanks			
		Radiation Detection System (mention beta/gamma/alpha)			
		Effluent Treatment Plant/ Water Recycling Plant			
		Plasma Cutter-Inverter			
3	**Process**	Is depolluting being done in environmental friendly manner or not			
		All fluids and hazardous components removed properly			
		Each fluid collected in separate, labelled, leak-proof containers; No spills;			
		Airbags and pyrotechnics deployed/neutralised before dismantling; manufacturer procedure followed			
		AC refrigerant recovered using certified equipment; not vented to atmosphere			
		Dismantling done only after full de-pollution is complete			
		No spills on floor; containment pits/drainage functional			
		Hazardous waste (used oils, batteries, tyres, brake fluid, e-waste, filters) stored in labelled containers in covered shed			
		ETP operational; wastewater treated before discharge			
		Mass flow statement (Form-3) updated for each vehicle with fluid and waste quantities			

5. ANNUAL RETURN FINDINGS

1. Annual Return Submitted	Yes		No	
2. Mass Balance as per Annual Report				
3. Summary of lapses highlighted in Annual Return				

[F. No. RT-23013/17/2026-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 653(E), dated 23rd September, 2021 and last amended vide notification number G.S.R. .....(E), dated ....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.19 11:12:52 +05'30'